

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन (हीप), रानीपुर, हरिद्वार- 249403 (उत्तराखण्ड)

परिपत्र

मा. सं. / भर्ती / ट्रेड अप्रेंटिस / अक्टूबर 2018/103

दिनांक : 18/07/2018

बी.एच.ई.एल. हरिद्वार इकाई निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से ट्रेड (आई.टी.आई.) अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अक्टूबर 2018 बैच के लिए आवेदन आमंत्रित करती है :-

क्रम सं.	ट्रेड	रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा (1 अक्टूबर 2018 को) एवं छूट	न्यूनतम योग्यता
1	फिटर	61	<ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम: 18 वर्ष अधिकतम: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनु. जाति/ जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों (अस्थि बाधित/श्रवण बाधित/दृष्टि बाधित) को अपने वर्ग में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। 	<p>हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं एन.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2015, 2016 या 2017 में आई.टी.आई. नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स (मैके.) ट्रेड में एस.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2015, 2016 या 2017 में आई.टी.आई. नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।</p>
2	टर्नर	25		
3	मशीनिष्ट	34		
4	वेल्डर	22		
5	इलेक्ट्रीशियन	34		
6	ड्राफ्ट्समैन (मैके.)	03		
7	इलेक्ट्रॉनिक्स (मैके.)	03		
8	कारपेन्टर	01		
9	फाऊण्ड्री मैन	08		
10	पैटर्न मेकर	02		
11	फोर्जर व हीट ट्रीटमेंट	04		

नोट: ऊपर दी गयी रिक्तियों की संख्या अनुमानित है तथा अंतिम आकलन के आधार पर रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी संभव है।

महत्वपूर्ण निर्देश

- ❖ प्रशिक्षण अवधि भारत का राजपत्र (The Gazette of India), दिनांक 2 मार्च 2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एक वर्ष होगी।
- ❖ अभ्यर्थियों के आई.टी.आई. का जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार में नामांकन होना अनिवार्य है, किन्तु टर्नर, मशीनिष्ट, फाऊण्ड्री मैन, पैटर्न मेकर तथा फोर्जर व हीट ट्रीटमेंट व्यवसाय के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार के अलावा भारत के किसी भी राज्य / जिले के सेवायोजन कार्यालयों में आई.टी.आई. पंजीकृत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ अनु. जनजाति वर्ग (Scheduled Tribe) के अभ्यर्थी जिनका उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो, वे आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का दिनांक 01.04.2017 से पुराना जाति प्रमाण पत्र (OBC certificate) या जिस जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, मान्य नहीं होगा।
- ❖ अभ्यर्थियों को NCVT बोर्ड से ही आई.टी.आई. उत्तीर्ण किया होना चाहिए, परन्तु इलेक्ट्रीशियन; इलेक्ट्रॉनिक्स (मैके.) तथा वेल्डर ट्रेड के SCVT बोर्ड से आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे।
- ❖ वे अभ्यर्थी जिन्होंने आई.टी.आई. व्यक्तिगत अभ्यर्थी (as a private candidate) के रूप में किया है, वे उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- ❖ वर्ष 2015, 2016 या 2017 में आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनको बोर्ड द्वारा अंकपत्र प्राप्त हो गया है, ही आवेदन करने के पात्र होंगे। वे अभ्यर्थी जिन्हें आई.टी.आई. का परीक्षाफल /अंकपत्र बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

नोट: बी.एच.ई.एल. हरिद्वार के कर्मचारियों (कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृतक) के आश्रितों के लिए किसी भी जिला सेवायोजन कार्यालय में नामांकन होना अनिवार्य नहीं है तथा आई.टी.आई. उत्तीर्ण वर्ष में 3 वर्ष तक अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।

- ❖ अनु. जनजाति व अनु. जाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अप्रेंटिस एक्ट के नियमानुसार उत्तराखण्ड राज्य के लिए निर्धारित कुल सीटों के क्रमशः 1:3 व 1:6 के अनुपात में होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा।
- ❖ वे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं, जो आई.टी.आई. उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष या उससे अधिक किसी भी प्रकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी/ निजी/ संविदा अथवा अन्य किसी भी प्रकार के रोजगार में संलग्न नहीं रहे हों तथा आई.टी.आई. करने के उपरान्त अभ्यर्थी ने अन्य किसी भी संस्थान से प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या न तो कर रहा हो।

Stipend:

सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के प्रथम वर्ष में consolidated stipend उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अर्धकुशल कामगारों के लिए निर्धारित प्रति माह वेतन का 80% या 90% (यथालागू) तथा द्वितीय वर्ष (यदि लागू हो तो) के लिए 90% देय होगा।

स्वास्थ्य:

आवेदक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व दिये गये प्रारूप पर सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों की नियुक्ति अप्रेंटिस एक्ट 1961 व समय-समय पर हुए संशोधन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर निर्भर करती है।

चयन प्रक्रिया:

1. 10 से अधिक रिक्तियों वाले व्यवसायों हेतु अभ्यर्थियों का चयन आई.टी.आई. एवं हाई स्कूल में प्राप्त अंकों (आई.टी.आई. अंकों का 70% वेटेज व हाई स्कूल अंकों का 30% वेटेज लेते हुए) के मेरिट के आधार पर 1:1.20 के अनुपात में साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों का अप्रेंटिस हेतु अंतिम चयन उपरोक्त मेरिट (आई.टी.आई. अंकों का 70% वेटेज व हाई स्कूल अंकों का 30% वेटेज लेते हुए) का 70% तथा साक्षात्कार का 30% अंक के आधार पर किया जाएगा।
2. आई.टी.आई. तथा हाई स्कूल के अंकों के भारित औसत (weightage average) में प्राप्त अंकों में टाई होने की दशा में, उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. जिस व्यवसाय में रिक्तियों की संख्या 10 या 10 से कम है, उनके लिए अभ्यर्थियों का चयन उपरोक्त आधार पर सीधे मेरिट बनाते हुए किया जाएगा तथा साक्षात्कार नहीं होगा।
4. बी.एच.ई.एल. हरिद्वार के कर्मचारियों (कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृतक) के आश्रितों, यदि वे अन्य अर्हताओं को पूरा करते हों, को 1:2 के अनुपात में लेते हुए वरीयता दी जाएगी तथापि यह छूट अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए अनुपात / आरक्षण मानदंड को पूरा करने के लिए वैधानिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय भी इन मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।
5. यदि किसी भी ट्रेड में योग्य उम्मीदवारों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होती है तो सभी योग्य उम्मीदवारों को सीधे तौर पर नियुक्ति के लिए बुलाया जा सकता है। अंतिम चयन के लिए केवल वे उम्मीदवार ही माने जाएंगे, जो नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहेंगे।
6. पैटर्न मेकर तथा फोर्जर व हीट ट्रीटमेंट ट्रेड में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में इन रिक्तियों को फिटर में समायोजित किया जाएगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने की दशा में शेष बची रिक्तियों को भरने के लिए द्वितीय साक्षात्कार सूची / चयन सूची जारी किया जा सकता है।

नोट: आमंत्रित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

- ❖ आवेदन से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये दूरभाष संख्या 01334-28-5835 पर संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें

- ❖ उपरोक्त प्रशिक्षण के लिये बी.एच.ई.एल. हरिद्वार कैरियर वेबसाइट <https://careers.bhelhwr.co.in> द्वारा **“Engagement of Trade Apprenticeship for October’ 2018, BHEL Haridwar”** के अन्तर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (APPLY ONLINE) भरें।
- ❖ इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आवेदन को भरने, जमा करने तथा चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देशों से संबंधित जानकारी के लिए दिये गये निर्देशानुसार कार्य करें।



- ❖ अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, हाई स्कूल तथा आई.टी.आई. अंक इत्यादि बिल्कुल सही भरें क्योंकि साक्षात्कार सूची बनाने हेतु भरे गए विवरण को ही आधार माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी भरने में कोई गलती करता है तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।
 - ❖ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पार्ट 2 में अपना 30 kb तक का .jpg या .jpeg प्रारूप में स्कैन नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो अपलोड करना होगा।
 - ❖ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पार्ट 2 में ही अपना हाई स्कूल अंक पत्र, आई.टी.आई. कंसोलिडेटेड या सभी सेमेस्टर के अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), शारीरिक रूप से अक्षमता (PH) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) तथा आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेज 300 kb तक का pdf प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करना होगा।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद पावती पत्र (Acknowledgement Slip) एवं सामान्य निर्देश में उल्लेखित दस्तावेजों को संलग्न कर अंतिम तिथि तक भेजना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।
 - ❖ वेबसाइट <https://careers.bhelhwr.co.in> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे बिना, फोटो या उपरोक्त दर्शाये गये दस्तावेजों को अपलोड किए बिना या पावती पत्र (Acknowledgement Slip) एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न किए बिना जमा किये गये आवेदन अस्वीकार्य होंगे। इस संबंध में बिना भरे अथवा अधूरे आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
 - ❖ वी.एच.ई.एल. हरिद्वार कैरियर वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्णतया भरने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्त पावती पत्र (Acknowledgement Slip) का प्रिंट आउट लें तथा सामान्य निर्देश में उल्लेखित अन्य दस्तावेजों के साथ लिफाफे में डाल कर एवं उसके ऊपर "ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण अक्टूबर 2018 हेतु आवेदन पत्र" लिख कर दिनांक 11.08.2018 तक निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से (स्वयं) जमा करना होगा।

उप महाप्रबंधक (मा. सं.- भर्ती),
कक्ष सं. 29, मानव संसाधन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन, बी.एच.ई.एल., हीप,
रानीपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) -249403

नोट: वी.एच.ई.एल. हरिद्वार के कर्मचारियों (कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृतक) के आश्रितों के लिए पावती पत्र (Acknowledgement Slip) एवं सामान्य निर्देश में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ "Form for Employee Ward" भी जमा करना होगा।

सामान्य निर्देश

- ❖ अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अनिवार्य योग्यता धारण करते हैं। यदि चयन के किसी भी चरण में या चयन के उपरांत यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य एवं संलग्न दस्तावेज सत्य एवं सही नहीं है तो आवेदक की उम्मीदवारी/ नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
- ❖ अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन के पार्ट 2 में संलग्न करना होगा अन्यथा उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा :
 1. हाई स्कूल अंकपत्र।
 2. आई.टी.आई. कंसोलिडेटेड अंकतालिका (कंसोलिडेटेड नहीं होने की दशा में सभी सेमेस्टर की अंकतालिकाओं को एक साथ स्कैन करते हुए)
 3. आधार कार्ड।
 4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
 5. शारीरिक रूप से अक्षमता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अपने निम्न दस्तावेज (self-attested photocopy) पावती पत्र के साथ संलग्न करके दिनांक 11.08.2018 तक व्यक्तिगत रूप से / डाक द्वारा जमा कराने होंगे:
 1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र।
 2. सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 3. पूर्णतया भरा हुआ Form for Employee Ward [केवल कर्मचारियों (कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृतक) के आश्रितों के लिए लागू]।



- ❖ प्रबंधन के पास बिना कोई कारण दिए चयन प्रक्रिया के संशोधन / पुनर्निर्धारण / निरस्त / निलंबन करने का अधिकार है। प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ❖ इस परिपत्र के फलस्वरूप अथवा परिपत्र के संदर्भ में आवेदन के फलस्वरूप उत्पन्न किसी दावे या विवाद के लिए प्रार्थना पत्र देने की प्रक्रिया केवल हरिद्वार में शुरू की जा सकती है तथा न्यायालय / ट्रिब्यूनल / फोरम हरिद्वार के पास इस संबंध में कारण / विवाद की जाँच करने का एकल तथा विशेष न्यायाधिकार होगा।
- ❖ किसी ट्रेड में किसी भी अवस्था में यदि योग्य अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों से कम या बराबर रहती है तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को, यदि वे अन्य अर्हतायें पूरी करते हैं, मेरिट में छूट प्रदान करते हुए क्रमशः ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है।
- ❖ चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ❖ इस प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शुद्धि / परिवर्तन / अपडेट केवल बी.एच.ई.एल. हरिद्वार कैरियर वेबसाइट <https://careers.bhelhwr.co.in> पर उपलब्ध होगा। अलग से कोई सूचना किसी भी समाचार पत्र या किसी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगी।
- ❖ अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिये उपरोक्त वेबसाइट नियमित रूप से अवश्य देखते रहें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (संभावित)

(क) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु आरंभिक तिथि:	18.07.2018
(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि:	05.08.2018
(ग) पावती पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करने की अंतिम तिथि:	11.08.2018
(घ) साक्षात्कार की सूची घोषणा करने की तिथि:	10.09.2018
(ङ) साक्षात्कार की तिथियाँ:	18 से 22.09.2018
(च) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषणा करने की तिथि:	26.09.2018
(छ) ज्वाइनिंग तिथि :	4 से 5.10.2018 के बीच


 18/7/2018
 उप महाप्रबंधक (मा.सं.-भर्ती)

वितरण :

1. जिला सेवायोजन अधिकारी हरिद्वार / कालसी (देहरादून)
 2. हरिद्वार नेट
 3. **Regional Director, R.D.A.T., IIIrd Floor, A Wing, New C.G.O. Complex, NH IV, Faridabad - 121001**
 4. समस्त सूचना पट्ट
- } व्यापक प्रसार हेतु

प्रतिलिपि :

1. कार्यपालक निदेशक (सीएफएफपी) के स्टाफ अधिकारी: कार्यपालक निदेशक (सीएफएफपी) के सादर सूचनार्थ
2. महाप्रबंधक प्रभारी (हीप) के स्टाफ अधिकारी: महाप्रबंधक प्रभारी (हीप) के सादर सूचनार्थ
2. महाप्रबंधक (मा. सं. एवं नगर प्रशासक)
3. समस्त डी आर ओ } सादर सूचनार्थ।